न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–10 / 2022 (2022 / 40) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–बाबुलाल पिता धन्नालाल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. हरिश टेलर, हफीज मोहम्मद – प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–15.03.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास पटवार मण्डल नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3973 / 835 रकबा 0.11 है0 भूमि राजस्व खाता 613 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी में संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम नाथड़ियास से रायपुर जाने वाली सड़क से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 841 में 15 फीट चौड़ाई में स्थित है। रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी के लिये उक्त रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम नाथड़ियास पटवार मण्डल नाथड़ियास के बैरून हल्का आबादी में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 3973 / 835 रकबा 0.11 है0 भूमि आवगमन करने का एक मात्र रास्ता जो बिलानाम आराजी संख्या 841 में 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे तथा रास्ते को खुलासा करवाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] अंकन किया कि आराजी संख्या 3973 / 835 रकबा 0.11 है0 में आने जाने के लिये बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 624 व आराजी संख्या 3973 / 835 के मध्य बिलानाम आराजी संख्या 841 रकबा 0.61 है0 का आंशिक भाग आता है उसमें मौके पर रास्ता [illegible] है। मौके पर रास्ता चालू है। मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वर्तमान में आराजी संख्या 3973 / 835 पर जाने के लिये आराजी संख्या 841 में होकर जा रहा है। उक्त रास्ते में ग्राम नाथड़ियास की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested

बिलानाम आराजी संख्या 841 रकबा 0.62 है0 किस्म छापर मे से 252 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है उक्त भूमि की असिंचित पास की वर्तमान डीएलसी दर 399088/- रूपये प्रति हैक्टयर होने से 252 वर्गमीटर की भूमि कीमत 10058 रूपये बनती है तथा डीएलसी का दुगुना करने पर 20116/–रूपये मुआवजा राशि बनती है। वर्तमान में जो रास्ता है प्रार्थी लेना चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा रखा है। मौके पर आराजी संख्या 3973/835 में आने जाने के लिये आराजी संख्या 841 के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से सीधा बिलानाम भूमि में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो बिलानाम सरकारी भूमि होकर पड़त है एवं प्रार्थी नियमानुसार भूमि कीमत देने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 3973/835 रकबा 0.11 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 841 रकबा 0.62 है0 मे से 252 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 399088/–रूपये प्रति हेक्टयर से 10058/–रूपये का दुगुनी राशि 20116/–रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/3/2022
(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10/2022 (2022/40) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बाबुलाल पिता धन्नालाल भील निवासी भीलखेड़ी (थला) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 3973/835 रकबा 0.11 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 841 रकबा 0.62 है0 मे से 252 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 399088 रूपये प्रति हेक्अयर से 10058/—रूपये का दुगुनी राशि 20116/—रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

15/3/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:53:59 IST
Reason: SelfAttested